समलैंगिकता का मुद्दा चर्चा में क्यों हैं?

- ऑपोजिट सेक्स वालों की तरफ आकर्षित होने वाले को हेट्रोसेक्सुअल **(Heterosexual)** कहते हैं। इसके विपरीत जब किसी पुरुष को पुरुष से या किसी महिला को महिला से आकर्षण हो तो ऐसे लोगों को होमोसेक्सुअल **(Homosexual)** या समलैंगिकता कहते हैं।
- दूसरे शब्दों में समान लिंग के प्रति भावनात्मक एवं शारीरिक आकर्षण को समलैंगिकता **(Homosexuality)** की संज्ञा दी जाती है।
- पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षण को ''पुरुष समलिंगी'' या ''गे'' कहा जाता है। यही क्रिया जब दो महिलाओं के बीच होती है तो उसे ''महिला समलिंगी'' या लेस्बियन कहते हैं। जो लोग महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें उभयलिंगी **(Bisexual)** कहते हैं।
- समलैंगिक, उभयलैंगिक और लिंग परिवर्तित (ट्रांसजेंडर) लोगों को मिलाकर एक कॉमन शब्द एलजीबीटी **(LGBT)** का प्रयोग किया जाता है।
- **Queer** वह है जो **LGBT** में से किसी वर्ग से होते हैं, लेकिन वह अपनी पहचान छुपाते हैं। इन सबको मिलाकर **LGBTQ** समुदाय नाम दिया जाता है।
- समलैंगिक और उभयलैंगिक होने कारणों पर मतभेद है। बहुत से धर्मों में समलैंगिकता या उभयलैंगिकता को पाप माना जाता है। वहीं कुछ

धर्मों में समलैंगिकता या उभयलैंगिकता को विकल्पों के रूप में देखा जाता है जो किसी व्यक्ति की अपनी पसंद पर निर्भर करता है।

- आधुनिक वैज्ञानिक शोध यह बताते हैं कि समलैंगिकता कोई विकल्प या च्वाइस नहीं है, यह प्राकृतिक परिवर्तन है। समलैंगिकता का स्पष्ट कोई एक कारण नहीं है यह अनुवांशिक और जन्म से पूर्व के हार्मोन का प्रभाव हो सकता है। यह वातावरण से प्रभावित हो सकता है।
- समलैंगिकता केवल पुरुषों में ही नहीं पाई जाती है बल्कि यह बहुत सी प्रजातियों में भी पाई जाती है। पेंग्विन, चिंपाँजी, डाल्फिन एवं कुछ अन्य जीवों में भी यह पाया जाता है।
- समलैंगिकता हर समाज और हर काल में रही है, लेकिन इसे छुपाने का प्रयास किया जाता था।
- पहले इसे एक रोग या मानसिक विकृति के रूप में देखा जाता था, जिसके कारण इसे छुपाया जाता था। चिकित्सक भी पहले इसे एक रोग के रूप में देखते थे और इसका इलाज करने का प्रयास करते थे।
- अब परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और यह माना जाता है कि यह कोई बीमारी नहीं है और इसका उपचार नहीं किया जा सकता है बल्कि ऐसे लोगों को अपनी इच्छा खुलकर जाहिर करने के लिए काउंसलिंग का सहारा लिया जाता है।
- वर्तमान समय में भी समलैंगिकता का उपचार करने का प्रयास किया जाता, जिसे ''रिपैरेटिव'' चिकित्सा कहा जाता है। इसमें समलैंगिकों

विषमलैंगिक बनाने का प्रयास किया जाता है, और उनका दावा है कि ऐसा होता भी है लेकिन मनोवैज्ञानिक समूह इसकी आलोचना करता है। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समाज वैज्ञानिक और डॉक्टरों के समूह एवं संगठनों ने इसे घातक बताया है और कहा है कि इससे व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन डॉक्टरों/वैज्ञानिकों ने बार-बार यह कहा है कि यौन उन्मुखीकरण या लैंगिक प्राथमिकता बदली नहीं जा सकती है।

- **समलैंगिकों की समस्या-**
  1. पहचान संकट- 1960 के दशक के अंत से पहचान को उजागर करने के आंदोलन प्रारंभ हुए। वर्ष 1969 में न्यूयॉर्क के स्टोनवॉल दंगा हुआ जिसमें पुलिस द्वारा समलैंगिकों को प्रताड़ित करने के विरोध में **LGBT** अधिकार आंदोलन का प्रारंभ-प्राइड परेड के रूप में हुआ।
  2. सामाजिक उपेक्षा
  3. मानसिक तनाव व कुंठा
  4. शोषण एवं भेदभाव
  5. हिंसा का खतरा
  6. सजा का खतरा
- लंबे संघर्ष के बाद धीरे-धीरे समलैंगिक समुदाय की भावनाओं को समझा गया और उनके अधिकारों को मान्यता दी गई।

- नीदरलैण्ड पहला देश था जहाँ सर्वप्रथम इसे 2001 में मान्यता मिली। मार्च 2018 तक 25 देशों में इसे मान्यता प्रदान की गई है।
- **भारत में समलैंगिकता-**
- समलैंगिकता भारतीय समाज में विद्यमान रही है परंतु इसे कभी सामाजिक मान्यता नही मिली है और इसे मानसिक विकृति का परिणाम माना गया।
- ब्रिटिशकाल में जब यहां ब्रिटिश कानून था उस समय ईसाइयत में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। भारत में इस समय इसे सामाजिक स्वीकृति तो नहीं थी लेकिन लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान भी नहीं था।
- वर्ष 1861 में लॉर्ड मैकाले द्वारा **IPC** की धारा-377 के अनुसार इसे अपराध घोषित किया गया और इसके लिए 10 साल से उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया।
- आजादी के बाद भी इसे अपराध माना जाता रहा था। वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में पहला समलैंगिक विवाह संपन्न हुआ। वर्ष 2001 में ही पहली बार धारा-377 के विरुद्ध **PIL** लगाया गया।
- वर्ष 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को खारिज कर दिया और कहा कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया।

- वर्ष 2012 में विधि आयोग ने भी अपनी 172वीं रिपोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की।
- वर्ष 2015 में शशि थरूर ने समलैंगिकता के विषय में निजी बिल प्रस्तुत किया, जिसमें इसे अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश थी। इस प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 18 मत पड़े।
- 6 सितंबर 2018 को दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली संवैधानिक पीठ ने 377 को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया।
- कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से दो व्यस्कों के बीच बनाये गये समलैंगिक संबंध/अप्राकृतिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जायेगा।
- कोर्ट ने कहा कि **LGBT** समुदाय के लोगों को भी संविधान में उसी प्रकार का बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, जैसे कि अन्य को। कोर्ट ने कहा कि 377 को अपराध मानना व्यक्ति को संविधान के तहत मिले समता और गरिमा के अधिकार का हनन है।
- पीठ ने कहा कि यह एक जैविक घटना या रूझान है न कि मानसिक विकार या असामाजिक कृत्य। यह पूरी तरह से स्वाभाविक अवस्था है। कोर्ट ने कहा कि धारा-377 पुराने ढर्रे पर चल रही सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, जिससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद-14, अनुच्छेद-15, अनुच्छेद-19 और अनुच्छेद-21 में प्रदत्त अधिकारों का हनन है।

- कोर्ट ने माना कि **LGBT** समाज के सदस्यों को परेशान करने के लिए धारा-377 का प्रयोग किया जाता है।
- कोर्ट ने हालांकि बाद में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा-377 में पशुओं और बच्चों से संबंधित अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने का अपराध की श्रेणी में रखने वालें प्रावधान पहले की ही तरह प्रभावी रहेंगे।
- **समलैंगिकता के पक्ष में तर्क-**
  1. समलैंगिकों के प्रति आकर्षण मूल प्रवृत्ति एवं प्राकृतिक है।
  2. यह व्यक्ति स्वतंत्रता का पोषक है, जीवन जीने के अपने तरीके को मान्यता प्रदान करता है।
  3. अनुकूल जीवनसाथी चुनने का अधिकार
  4. **AIDS** जैसी बीमारियों के निदान में सहायक
- **विपक्ष में तर्क-**
  1. समाज का एक भाग इसे अप्राकृतिक, असामाजिक मानता है।
  2. यह प्राकृतिक प्रक्रिया में छेड़छाड़।
  3. मानव समाज के निरंतरता के समक्ष खतरा।
- यह विवाह जैसी सामाजिक संस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।
- भारतीय समाज में विघटन उत्पन्न करेगा।
- संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं के विपरीत।
- विकृत मनोवृत्ति को बढ़ावा।

- यौन संबंधी रोग (रानौरिया, सिफालिस) का विकास।
- सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता तो मिल गई है लेकिन अभी भी कई तरह के अधिकारों के लिए इन्हें संघर्ष करना है।
  1. शादी का अधिकार और उसकी मान्यता।
  2. बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं।
  3. समलैंगिकों को साथी की भूमि और संपत्ति पर अधिकार।

ध्येय IAS most trusted since 2003